कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 1

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	108600.72	21.80	108622.52	122961.57	56.00	123017.57	118257.69	36.55	118294.24	123960.75	39.25	124000.00
वसूलियां	*-349.69*	*...*	*-349.69*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**108251.03**	**21.80**	**108272.83**	**122961.57**	**56.00**	**123017.57**	**118257.69**	**36.55**	**118294.24**	**123960.75**	**39.25**	**124000.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	131.81	...	131.81	147.28	...	147.28	154.45	...	154.45	163.40	...	163.40
1.02 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	46.18	...	46.18	49.69	...	49.69	49.69	...	49.69	50.73	...	50.73
1.03 अन्य संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	325.47	...	325.47	360.50	...	360.50	723.56	...	723.56	380.12	39.25	419.37
जोड़- सचिवालय	*503.46*	*...*	*503.46*	*557.47*	*...*	*557.47*	*927.70*	*...*	*927.70*	*594.25*	*39.25*	*633.50*
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. फसल बीमा योजना												
2.01 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	14161.48	...	14161.48	16000.00	...	16000.00	15989.39	...	15989.39	15500.00	...	15500.00
3. किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी												
3.01 किसानों को अल्पाधिक ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी	17789.72	...	17789.72	19468.31	...	19468.31	18142.30	...	18142.30	...	...	...
4. संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (एमआईएसएस)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19500.00	...	19500.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5. बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस)	1357.91	...	1357.91	1500.50	...	1500.50	3595.61	...	3595.61	1500.00	...	1500.00
6. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-एएएसएचए)	...	...	...	400.00	...	400.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
7. कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दाल का वितरण	537.49	...	537.49	300.00	...	300.00	50.00	...	50.00	9.00	...	9.00
8. फ़सल अवशेष के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यांत्रिकीकरण का संवर्धन	570.72	...	570.72	700.00	...	700.00	700.00	...	700.00	...	...	...
9. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान)	60989.90	...	60989.90	65000.00	...	65000.00	67500.00	...	67500.00	68000.00	...	68000.00
10. प्रधानमंत्री किसान मान - धन योजना	110.00	...	110.00	50.00	...	50.00	0.50	...	0.50	100.00	...	100.00
11. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन	240.83	...	240.83	700.00	...	700.00	250.00	...	250.00	500.00	...	500.00
12. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)	21.87	...	21.87	900.00	...	900.00	200.00	...	200.00	500.00	...	500.00
13. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन हनी मिशन (एनबीएचएम)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**95779.92**	**...**	**95779.92**	**105018.81**	**...**	**105018.81**	**106428.80**	**...**	**106428.80**	**105710.00**	**...**	**105710.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
14. पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण	3.50	...	3.50	4.70	...	4.70	3.00	...	3.00	5.50	...	5.50
स्वायत्त निकाय												
15. राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान	8.19	...	8.19	9.82	...	9.82	6.00	...	6.00	25.00	...	25.00
16. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज)	7.50	...	7.50	7.77	...	7.77	5.00	...	5.00	5.50	...	5.50
17. राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद	5.50	...	5.50	6.57	...	6.57	30.30	...	30.30	...	...	...
18. चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान	4.24	...	4.24	4.24	...	4.24	4.24	...	4.24	4.50	...	4.50
जोड़-स्वायत्त निकाय	**25.43**	**...**	**25.43**	**28.40**	**...**	**28.40**	**45.54**	**...**	**45.54**	**35.00**	**...**	**35.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**28.93**	**...**	**28.93**	**33.10**	**...**	**33.10**	**48.54**	**...**	**48.54**	**40.50**	**...**	**40.50**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
19. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रति बूंद अधिक फसल	2562.16	...	2562.16	4000.00	...	4000.00	2000.00	...	2000.00	...	...	...
हरित क्रांति												
20. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	2561.25	...	2561.25	3712.44	...	3712.44	2000.00	...	2000.00	...	...	...
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1675.23	...	1675.23	2096.00	...	2096.00	1540.00	...	1540.00	...	...	...
22. राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना	...	0.89	0.89	...	12.00	12.00	...	6.00	6.00	...	...	...
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	137.17	...	137.17	200.00	...	200.00	174.81	...	174.81	...	...	...
24. राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना	200.21	0.02	200.23	313.00	2.00	315.00	99.34	0.66	100.00	...	...	...
25. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन	128.45	...	128.45	180.00	...	180.00	110.00	...	110.00	...	...	...
26. परम्परागत कृषि विकास योजना	381.05	...	381.05	450.00	...	450.00	100.00	...	100.00	...	...	...
27. राष्ट्रीय कृषि-वानिकी परियोजना	27.10	...	27.10	34.00	...	34.00	20.00	...	20.00	...	...	...
28. राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1422.14	1.20	1423.34	2380.50	4.50	2385.00	1589.50	4.50	1594.00	...	...	...
29. बीज एवं पौध रोपण सामग्री उपमिशन	256.62	...	256.62	447.00	1.00	448.00	309.00	1.00	310.00	...	...	...
30. पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध उपमिशन	21.40	12.92	34.32	34.00	11.00	45.00	29.00	2.00	31.00	...	...	...
31. कृषि विस्तार उपमिशन	886.33	...	886.33	1173.75	...	1173.75	924.00	...	924.00	...	...	...
32. सूचना प्रौद्योगिकी	42.52	...	42.52	50.00	...	50.00	55.19	...	55.19	...	...	...
33. कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन	992.94	6.77	999.71	1026.00	24.00	1050.00	829.11	20.89	850.00	...	...	...
34. एकीकृत कृषि संगणना एवं सांख्यिकी स्कीम	307.18	...	307.18	374.00	...	374.00	267.00	...	267.00	...	...	...
35. एकीकृत कृषि सहकारिता पर स्कीम	373.65	...	373.65	373.00	...	373.00	373.00	...	373.00	...	...	...
36. कृषि विपणन												
36.01 समेकित कृषि विपणन योजना	237.80	...	237.80	408.50	1.50	410.00	262.70	1.50	264.20	...	...	...
37. राष्ट्रीय बांस मिशन	75.21	...	75.21	100.00	...	100.00	70.00	...	70.00	...	...	...
38. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (ऑयलपाम)	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00	...	...	...
जोड़-हरित क्रांति	**9726.25**	**21.80**	**9748.05**	**13352.19**	**56.00**	**13408.19**	**8852.65**	**36.55**	**8889.20**	**...**	**...**	**...**
39. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10433.00	...	10433.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
40. कृषोन्नति योजना												
40.01 खाद्य एवं पोषण सुरक्षा	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1395.00	...	1395.00
40.02 खाद्य तेल - जैतून का तेल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	900.00	...	900.00
40.03 खाद्य तेल - तिलहन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	600.00	...	600.00
40.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	198.00	...	198.00
40.05 बागवानी का समेकित विकास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1900.00	...	1900.00
40.06 बीज एवं रोपण सामग्री	...	...	...	...	...	...	...	...	...	305.00	...	305.00
40.07 कृषि विस्तार	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1000.00	...	1000.00
40.08 डिजिटल कृषि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	60.00	...	60.00
40.09 कृषि गणना एवं सांख्यिकी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	325.00	...	325.00
40.10 कृषि विपणन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
जोड़- कृषोन्नति योजना	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*7183.00*	*...*	*7183.00*
41. वास्तविक वसूलियां	-349.69	...	-349.69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**11938.72**	**21.80**	**11960.52**	**17352.19**	**56.00**	**17408.19**	**10852.65**	**36.55**	**10889.20**	**17616.00**	**...**	**17616.00**
कुल जोड़	***108251.03***	***21.80***	***108272.83***	***122961.57***	***56.00***	***123017.57***	***118257.69***	***36.55***	***118294.24***	***123960.75***	***39.25***	***124000.00***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. फसल कार्य	79493.58	...	79493.58	78413.49	...	78413.49	84017.08	...	84017.08	80137.34	...	80137.34
2. मृदा और जल संरक्षण	26.25	...	26.25	28.30	...	28.30	29.35	...	29.35	30.10	...	30.10
3. कृषि वित्तीय संस्थान	17789.72	...	17789.72	17679.14	...	17679.14	14009.38	...	14009.38	17612.14	...	17612.14
4. सहकारिता	379.15	...	379.15	343.57	...	343.57	367.30	...	367.30	...	...	...
5. अन्य कृषि कार्यक्रम	529.58	...	529.58	1089.90	...	1089.90	524.27	...	524.27	2204.30	...	2204.30
6. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	123.39	...	123.39	147.28	...	147.28	154.45	...	154.45	163.40	...	163.40
7. फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	...	21.80	21.80	...	54.50	54.50	...	35.05	35.05	...	37.75	37.75

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**98341.67**	**21.80**	**98363.47**	**97701.68**	**56.00**	**97757.68**	**99101.83**	**36.55**	**99138.38**	**100147.28**	**39.25**	**100186.53**
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	12242.70	...	12242.70	11731.80	...	11731.80	12332.60	...	12332.60
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	9804.03	...	9804.03	12667.66	...	12667.66	7178.28	...	7178.28	11286.04	...	11286.04
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	105.33	...	105.33	349.53	...	349.53	245.78	...	245.78	194.83	...	194.83
12. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**9909.36**	**...**	**9909.36**	**25259.89**	**...**	**25259.89**	**19155.86**	**...**	**19155.86**	**23813.47**	**...**	**23813.47**
कुल जोड़	**108251.03**	**21.80**	**108272.83**	**122961.57**	**56.00**	**123017.57**	**118257.69**	**36.55**	**118294.24**	**123960.75**	**39.25**	**124000.00**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालयों, विभागीय कैंटीन एवं मंत्री (कृषि), भारतीय दूतावास रोम; विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों को योगदान और विभिन्न राज्यों में अवस्थित विभाग के अंतर्गत विभिन्न संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के खर्च के बाबत किया गया है।

2. **फसल बीमा योजना:** राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) को वापस लेने के बाद दिनांक 01.04.2016 से शुरू की गई। विभाग ने निर्देशित प्रीमियम और दावा-समर्थन बीमा योजनाओं के स्थान पर बीमांकिक प्रीमियम-आधारित प्रणाली के लिए अग्रिम सब्सिडी कर दिया है।

4. **संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (एमआईएसएस):** संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के तहत, कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों को 9% की बेंचमार्क दर पर 3.00 लाख रुपये तक का अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध है। भारत सरकार बेंचमार्क दर पर 2% ब्याज छूट प्रदान करती है। ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% छूट भी दी जाती है; इस प्रकार प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। कार्यान्वयन एजेंसियों नामतः आरआरबी/सहकारी बैंकों के लिए नाबार्ड और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआईको निधियां जारी की जाती हैं।

5. **बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस):** इस स्कीम के तहत नेफेड, केंद्रीय वेयर हाऊसिंग निगम, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी समिति परिसंघ और लघु किसान कृषि व्यापार मंच को केंद्रीय अभिकरणों के रूप में प्राधिकृत किया गया है ताकि वे मूल्य समर्थन स्कीम के तहत तिलहनों और दलहनों का प्रापण कार्य करने के साथ -साथ किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलवाने की दिशा में कार्य कर सकें। नाफेड, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, लघु किसान कृषि व्यवसाय परिसंघ को मूल्य समर्थन योजना के तहत और किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मुहैया कराने हेतु कार्य करने के लिए भी तिलहन और दहलन की खरीद करने के लिए केन्द्रीय एजेंसियों के रूप में नामित किया है।

6. **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-एएएसएचए):** प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), तिलहन और खोपरा, भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) की प्रायोगिक परियोजना सहित किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए है।

7. **कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दाल का वितरण:** कल्याण योजना के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दलहन का वितरण-यह योजना मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आईसीडीएस आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपयोग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्गम मूल्य से 15/- रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देकर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीदे गए दलहन के विशाल स्टॉक के निपटान के लिए है।

9. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान):** देशभर के सभी किसान परिवारों को आय सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें अपने कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के साथ ही घरेलू जरूरतों संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) नामक एक नई केन्द्रीय सैक्टर स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य किसान परिवारों को 2000/- रु की तीन तिमाही किस्तों में प्रति वर्ष 6000/- रूपए का भुगतान करना है जो कतिपय उच्चतर आय समूहों से संबंधित अपवादों के अधीन होगा। लगभग 12.50 करोड़ किसानों को इस स्कीम के दायरे में लाए जाने की संभावना है।

10. **प्रधानमंत्री किसान मान - धन योजना:** लघु और सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा कॅवच की व्यवस्था करने की दृष्टि से, क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था के लिए मामूली या शून्य बचत होती है और बाद में उनकी आजीविका का साधन नहीं रह जाता, तब उनकी सहायता के लिए सरकार ने एक और नई केन्द्रीय सेक्टर स्कीम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया जिसके तहत इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को 3000 रूपए प्रति माह की न्यूनतम नियत पेंशन प्रदान की जाएगी जो कतिपय अपवादी नियमों के अधीन है। इस स्कीम का उद्देश्य प्रथम तीन वर्षों के दौरान लगभग 3 करोड़ लाभग्राहियों को इसके दायरे में लाना है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है जिसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है।

11. **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन:** यह योजना सदस्य किसान उत्पादकों को उनकी उपज के लिए बेहतर नकदी और बाजार संपर्क के माध्यम से लागत प्रभावी उत्पादकता और उच्च शुद्ध आय बढ़ाने में योगदान देगी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से धारणीय किसान उत्पादक संगठन बनने में मदद मिलेगी

12. **कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ):** इस केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को 8.7.2020 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन दिया गया था ताकि ब्याज छूट एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश करने हेतु मध्यम-दीर्घावधि ऋण का वित्तपोषण किया जा सके। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों (पैक्स), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्व-सहायता समूह (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), बहुद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप और केन्द्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी साझेदारी वाली परियोजना के लिए ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रूपए प्रदान किए जाएंगे। इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक प्रति वर्ष 3% का ब्याज छूट दी जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए सुक्ष्म एवं लघु उद्यम योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अंतर्गत इस वित्तपोषण योजना से पात्र उधारकर्ताओं को क्रेडिट गारंटी बीमा उपलब्ध होगा। इस बीमा के शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

13. **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन हनी मिशन (एनबीएचएम):** एनबीएचएम को 2020-21 से 2022-23 तक 3 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। मार्च 2023 के अंत तक 160000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, मधुमक्खी कॉलोनियों की संख्या को 42 लाख तक बढ़ाना, लगभग 4.60 लाख का रोजगार पैदा करना और शहद से आय में वृद्धि और फसलों की उपज में वृद्धि का लक्ष्य होगा। मुख्य घटकों/उप-योजनाओं के रूप में एनबीएचएम के 3 मिनी मिशन होंगे।

14. **पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण:** यह एक सांविधिक निकाय है जिसे विश्व व्यापार संगठन से हुए करार के तहत दायित्वों को पूरा करने के प्रयोजानार्थ 2001 में अधिनियम के तहत गठित किया गया। इसमें पादप प्रजातियों, किसानों और पौध रोपणकर्ताओं के अधिकारों और पादपों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रणाली कायम करने का प्रावधान किया गया है।

15. **राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान:** इस संस्थान का प्रावधान विविध और बदलती हुई कृषि-जलवायुगत परिस्थितियों में पर्यावरण के मद्देनजर संधारणीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन परिपाटियों को बढ़ावा देने, जैव सुरक्षा एवं क्षिप्राक्रमण प्रबंधन तथा केंद्र एवं राज्य सरकार को नीतिगत सहायता देने के लिए किया गया है।

16. **राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज):** यह संस्थान कृषिगत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों में विस्तार अधिकारियों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों, और प्रशासकों द्वारा प्रबंधन तकनीकी कौशल के अधिप्रापण को सुकर बनाता है ताकि संधारणीय कृषिगत और मात्सियकी परिपाटियों पर किसानों और मछुवारों को बेहतर कारगर सहायता और सेवाएं उपलब्ध करा सके।

18. **चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान:** यह एक स्वायत्त निकाय है और कृषि विपणन क्षेत्र में दक्षता लाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता लाने और सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्र में निर्णय निर्माताओं को परामर्श और नीति समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

39. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** यह कृषि क्षेत्र में अधिक विकास हासिल करने, किसानों को अधिक लाभ मुहैया कराने और खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, तिलहन के उत्पादन और कृषि विस्तार पर ध्यान केंद्रित करके समेकित विकास का एक कार्यक्रम है। इस योजना का पुनर्गठन किया गया है और पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा और स्वास्थ्य उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन, फसल अवशेषों के प्रबंधन सहित कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन आदि को आरकेवीवाई में विलय कर दिया गया है।

40.01. **खाद्य एवं पोषण सुरक्षा:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-08 में क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बहाल करने और कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था; 2021-22 के दौरान, एनएफएसएम को 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के चिन्हित जिलों में लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत खाद्यान्न फसलों और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। 2021-22 के बाद मिशन का उद्देश्य दालों और पोषक अनाजों पर विशेष बल देना है ताकि इन फसलों में पोषण सुरक्षा के साथ-साथ आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके।

40.02. **खाद्य तेल - ऑयल पाम:** वर्तमान में तिलहन और ऑयल पॉम को बढ़ावा देने की योजना एनएफएसएम के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। यह प्रस्तावित है कि इन गतिविधियों को दो नई योजनाओं के तहत शुरू किया जाएगा। चूंकि भारत कच्चे पाम तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमत घरेलू कीमतों को प्रभावित करती है। किसानों को कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए इस योजना के माध्यम से एक नया तंत्र प्रस्तावित किया गया है ताकि पाम तेल रोपण के लिए किसानों का विश्वास पैदा करने के लिए लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित किया जा सके। ऑयल पाम प्लांटेशन को आकर्षक बनाने के लिए एनईएस की विशेष सहायता के साथ पूर्ववर्ती योजना के तहत सहायता के मानदंड पर फिर से विचार किया जाएगा।

40.03. **खाद्य तेल - तिलहन-** भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार तिलहन फसल के लिए एक नया मिशन अर्थात् एनएमई-ओएस शुरू करने जा रही है। अगले 5 वर्षों में अर्थात् (2021-22 से 2025-26) में इस मिशन से 1676 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के साथ 54.10 मिलियन टन तिलहन की उपज होगी जो वर्तमान 1254 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ 36.10 मिलियन टन तिलहन की उपज है। 3.5 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त तिलहन क्षेत्र (28.79 मिलियन हेक्टेयर से 32.31 मिलियन हेक्टेयर) को चावल वाले बंजर भूमि, अंतर-फसल, अधिक उपज वाले जिलों और गैर-पारंपरिक राज्यों/मौसम के माध्यम से तिलहन कृषि को सरसो एवं सोयाबीन मिशन तथा फसल विविधिकरण के अंतर्गत लाया जाएगा। इस मिशन से तेल आयात निर्भरता 52% घटकर 36% हो जाएगी।

40.04. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास-** इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती को सुविधाजनक बनाना, उसे प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है।

40.05. **बागवानी का समेकित विकास -** यह प्रावधान बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए विधिवत बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए है। इसमें गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि, नवीनतम तकनीक का निदर्शन और किसानों के कौशल का उन्नयन, सूखे से निजात, जीवन रक्षक सिंचाई, फसलोपरान्त नुकसान में कमी और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए बाजारों तक पहुंच शामिल है। मिशन में विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं जैसे नारियल विकास बोर्ड, बागवानी विकास बोर्ड और उत्पादन और फसलोपरान्त प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास, निर्माण, विस्तार के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी, बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी विकास और बागवानी उत्पाद आदि के लिए अंतरण शामिल है।

40.06. **बीज एवं रोपण सामग्री -** मिशन का उद्देश्य बीज क्षेत्र को विकसित/मजबूत करना और सभी कृषि फसलों के उच्च उपज वाले प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और गुणन को बढ़ाना और किसानों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना और पौधों की किस्मों, अधिकारों के संरक्षण के लिए किसानों और पौधों के प्रजनकों को पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली भी स्थापित करना है।

40.07. **कृषि विस्तार -** मिशन का लक्ष्य कृषक समुदाय विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों की आय और आजीविका में सुधार के लिए पहुंच से बाहर तक पहुंचना और तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास की उपलब्धि में योगदान करना है।

40.08. **डिजिटल कृषि-** इसमें कृषि सूचना प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना कृषि को सुदृढ़ करना/प्रोत्साहन देना शामिल है जिसका उद्देश्य किसानों द्वारा कृषि संबंधी सूचनाएं समय पर प्राप्त करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करके तेजी से विकास करना है। इस बीच, किसानों की आय को दोगुना करने के मिशन के साथ-साथ, आधुनिक आईटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग, रोबोटिक्स आदि के उपयोग को शामिल करने और अनुकूलन के लिए परियोजना की मंजूरी के लिए योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन और राज्यों द्वारा कार्यक्रम के तहत विकसित किए जाने के लिए प्लेटफार्मों को वेब और मोबाइल एप्लिकेशन का अनुकूलन/स्थानांतरण के लिए विकसित किया गया है।

40.09. **कृषि संगणक और सांख्यिकी-** इस योजना में कृषि संगणना की पुनर्गठित योजना, कृषि अर्थव्यवस्था नीति में अध्ययन और कृषि सांख्यिकी में विकास और सुधार आदि शामिल हैं।

40.10. **कृषि विपणन:** इसे किसानों को प्रतिस्पर्धी बाजारों और अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए विकसित की गई है। इससे अंततः किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद मिलेगी। आईएसएएम केंद्र सरकार की एक छत्रक योजना है, जो बाजार संरचनाओं के निर्माण और सुधार, क्षमता निर्माण और बाजार की जानकारी तक पहुंच बनाने के माध्यम से कृषि उपज विपणन को नियंत्रित करने में राज्य सरकारों का समर्थन करती है। आईएसएएम के उप घटक कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क (एमआरआईएन), एगमार्क ग्रेडिंग सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (एसएजीएफ) और सीसीएस-राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (सीसीएस एनआईएएम) हैं।